

21

पनाकरीपेस। वकीलवारी उप. प्रतिकारीगण के
 समकालीनता मील प्रान्त हो गये हैं, प्रतिकारीगण
 1 न 3 की शर्तों से मोहमाड रक्षाकारक ने
~~वकीलवारीगण मय जगद्वय का पेस विना प्रतिकारी~~
 कण प कावगुड सूचना उप. नहीं है ~~इस प्रतिकारी~~
 कण प के बिना एकतरफा कार्रवाई की जाती है
 वारीनी एक प्रतिकारीगण 1 न 3 ने एक उप.
 हो म राजीनामा पेस किया। वारीनी की पहचान
 वकील वारी एक प्रतिकारीगण की पहचान
 वकील प्रतिकारी डाउ की गई पत्रकापन
 को राजीनामा पत्रका सूनाया गया। #
 पत्रकापन द्वारा राजीनामे पर सहमति व्यक्त
 की गई, राजीनामा तस्दीक किया जा म
 आ पत्रा किया गया। निरंतर ---

~~-----~~

वारी

धनमी
 प्रकाश
 मोहन 125
 कोरम

प्रतिकारीगण

वजरांग लाल

क. नि
 निमित्त

वलाकमंहर

12/11/21
 प्रकाश

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुकम

नम्बर य
हुकम की

बहुत बकील इतना परमाणु खुदी हुई मुलाबिक
राजीनाम काद स्वीकार किया जाता है, बिल्ट
निगम प्रथक से लिखकर आ-परा किया गया।

~~पनामनी कपल खुला की जाकर बाद तकनीक
दालिब दपुली~~

↓

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 54/2021

तारीख दायरा 25.05.2021

उनवान

धन्नीबाई पत्नी रूपचन्द उम्र 60 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम बोरीनाकलां तहसील सांगोद जिला
कोटा राजस्थान।
-वादिनी

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र रामनारायण जाति किराड निवासी ग्राम तरकस्या तहसील सांगोद जिला
कोटा राजस्थान।
2. निर्मला बाई पत्नी स्व० श्योराम जाति किराड निवासी तरकस्या तहसील सांगोद जिला
कोटा राजस्थान।
3. बलराम पुत्र स्व० श्योराम जाति किराड निवासी ग्राम तरकस्या तहसील सांगोद जिला
कोटा राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति-

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादिनी)
श्री मोहम्मद अशफाक (वकील प्रतिवादीगण)

दिनांक-29.07.2021

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद इस
आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद कोटा
में नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार खाता सं० नई 32 पुरानी 33 के खसरा
नं० 26 रकबा 0.14 है०, खसरा नं० 85 रकबा 0.93 है०, खसरा नं० 93 रकबा 1.06 है०, खसरा
नं० 271 रकबा 0.01 है० कुल 4 किता की कुल 3.04 है० आराजीयात स्थित है, जो प्रतिवादी नं०
1 को दिनांक 20.06.2013 को हक त्याग द्वारा इन्तकाल नं० 134 से प्राप्त हुई है, इसी प्रकार

प्रतिवादी नं० 2 व 3 के स्व० पति/पिता श्योराम को खसरा नं० 42 रकबा 0.02 है०, खसरा नं० 90 रकबा 1.07 है, खसरा नं० 91 रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 163 रकबा 0.73 है० कुल 4 किता की 1.85 हैक्टर प्राप्त हुई है। जिसका वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता सं० नई 36 में श्योराम की मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं० 2 व 3 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी नं० 1 ता 3 के संयुक्त रूप से ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद में सम्वत 2073 से 2076 से खाता सं० नई 33 के खसरा नं० 2 रकबा 1.13 है० आराजी संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 की पुश्तैनी आराजी ग्राम तरकस्या में सम्वत 2061-2064 में रामनारायण के वैध वारिसान के खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रतिवादी नं० 2 व 3 के स्व० पिता/पति श्री श्योराम पुत्र श्री रामनारायण एवं श्रीमती नर्बदा बाई पुत्री रामनारायण जाति किराड द्वारा वादिनी श्रीमती धन्नी बाई को दिनांक 26.06.2007 को विक्रय विलेख आराजी ग्राम तरकस्या पटवार बोरीनाकलां तहसील सांगोद के माल की खाता सं० नई 26 के खसरा नं० 93 की रकबा 1.06 है० में निहित प्रतिवादीगण 2 व 3 के पिता व पति श्योराम के हिस्से 1/5 में से 11/21 हिस्सा एवं खातेदार नर्बदा बाई का सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा कुल आराजी 0.32 है० उत्तरी पूर्वी तरफ का पारिवारिक विभाजन अनुसार हिस्सा को संभला कर विक्रय विलेख कर दिया था, लेकिन आराजी पर एस.बी.बी.जे. शाखा सांगोद बैंक का रहन का नोट होने से वादिनी के हक में इन्तकाल नहीं खुलने से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सका तथा क्रयशुदा आराजी पर वादिनी का वर्तमान में भी कब्जा चला आ रहा है।

वादिनी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 से वादिनी के क्रयशुदा आराजी का विभाजन करवाकर वादिनी के खाते लगाने की कहने पर वादीगण द्वारा पुनः क्रयशुदा आराजी का विक्रय विलेख करवाने को कहा है। प्रतिवादी क्रम 1 को वादिनी द्वारा क्रयशुदा आराजी खसरा नं० 93 रकबा 1.06 है० को विभाजन में अपने खाते रिलीज डीड करवाने का विधिक अधिकारी नहीं होने से वादिनी के हिस्से खसरा नं० 93 की 1.06 है० में से 0.32 है० उत्तर पूर्वी का वैध रिलीज डीड नहीं होने से वादिनी के हक तक शून्य है, तथा वादिनी को क्रयशुदा आराजी ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं० नई 33 के खसरा नं० 93 की 1.06 है० आराजी में से वादिनी के कब्जे एवं क्रयशुदा आराजी उत्तर पूर्वी 0.32 है० को अपने खाते लगवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

वादिनी को जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 राजस्व रिकार्ड खाता सं० नई 32 में प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज खसरा नं० 93 रकबा 1.06 है० में से 0.32 है० विक्रय विलेख दिनांक 26.06.2007 के आधार पर अपने नाम की घोषणा करवाने तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज

दुरस्ती कर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए उक्त वाद घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन का प्रस्तुत करना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आषय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि :-


वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद की आराजी खाता सं० नई 32 पुराना 33 की खसरा नं० 93 रकबा 1.06 है० में से 0.32 है० उत्तर पूर्वी हिस्सा की वादिनी के खाते की घोषणा की जावे, तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में घोषणा अनुसार वादिनी का नाम दर्ज कर प्रतिवादी कम 1 के खाते से इन्द्राज दुरस्त किया जावें। वादिनी के हिस्से की उक्त घोषणा अनुसार वादिनी का खाता विभाजन कर वादिनी के कब्जे शुदा आराजी खाता सं० 33 के खसरा नं० 93 रकबा 1.06 है० में से उत्तर पूर्वी हिस्सा विक्रय विलेख 26.06.2007 के अनुसार 0.32 हैक्टर विभाजन कर खाता व लगान पृथक-पृथक किया जावें। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में मात्र नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर बिना विधिवत बंटवारा करवाये आराजी को कही रहन बैय फरोक्त आदि नही करे, और वादिनी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत व नुकसान कारित नही करे, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, और न ही अपने किन्ही नौकरों व एजेन्टों से ऐसा करावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील अधिवक्ता श्री मोहम्मद अशफाक ने वकालतानामा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादी सं.4 राज्य सरकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके पश्चात प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं वादिनी स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां की


खाता सं. नया 32 पुराना 32 की आराजी खसरा नं. 93 रकबा 1.06 है. में से 0.32 है. उत्तरी पूर्वी तरफ का हिस्से को वादिनी के खाते दर्ज किया जावे।

वादिनी की पहचान वकील वादी द्वारा की गई तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनामा सारे इजलाज पढकर सुनाया गया। किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। मेरे द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली का महनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, जवाब दावा, राजीनामा आदि के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि—

ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद की खाता सं. नया 32 पुराना 33 की आराजी खसरा नं. 93 रकबा 1.06 है. में से 0.32 है. उत्तरी पूर्वी तरफ का हिस्से पर वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राज लगान पृथक से दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।


उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।


(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद